संख्या-86/2021/ 1425 /बावन-1-2021- अधि0(बजट)/19

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में 03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 06 माह की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1715/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा/ 2021-22, दिनांक 06.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित मद की अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-001-03 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान मद में विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-52/2021/677/बावन-1-2021-अधि0 (बजट)/19, दिनांक 28.04.2021 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में मण्डलीय तथा जिला कार्यालय हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाए-001- निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 474.74 लाख के सापेक्ष अवशेष 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 237.37 लाख **(रूपये दो करोड़ सैतीस लाख सैतीस हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
001-निदेशन तथा प्रशासन-
03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2021-22 का बजट प्राविधान	वर्ष 2021-22 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2021-22 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 06 माह की वर्तमान में अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	222.48	111.24	111.24
2	02-मजदूरी	0.90	0.45	0.45
3	03-मंहगाई भत्ता	66.74	33.37	33.37
4	04-यात्रा-व्यय	2.00	1.00	1.00
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	0.20	0.10	0.10
6	06-अन्य भत्ते	2.40	1.20	1.20
7	07-मानदेय	0.25	0.125	0.125
8	08-कार्यालय-व्यय	5.00	2.50	2.50
9	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.25	1.625	1.625
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.00	4.00	4.000
11	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	1.00	1.00
12	15-गाडियो का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	10.00	5.00	5.00
13	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए भुगतान	4.00	2.00	2.00
14	18-प्रकाशन	3.00	1.50	1.50
15	42-अन्य व्यय	3.00	1.50	1.50
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.50	0.50
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.50	0.50
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	5.00	2.50	2.50
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.00	3.00	3.00
20	49-चिकित्सा व्यय	8.00	4.00	4.00
21	51-वर्दी व्यय	0.52	0.26	0.26
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00	0.00	0.00
23	55-मकान किराया भत्ता	20.00	10.00	10.00
24	56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
25	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00	50.00	0.00
	योग	**474.74**	**237.37**	**237.37**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

3- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231 /2021, दिनांक 22.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या-1425 (1)/बावन-1-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in